राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	49/2021 लक्ष्मीनारायण बनाम धुणीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो. संख्या 1 लगा. 6 व 8 की और से अधिवक्ता श्री एन. के. यादव ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/04/2026 को पेश हो।	
01/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 15/01/2019 पारित करते हुये आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण/रेस्पो. को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थित अभिभाषक की बहस समायत कर निर्णय दिनांक 29/12/2020 पारित करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु को प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में साबित नही करना धारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष रहे अप्रार्थीगण के कथनों के परिदृश्य में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकी प्रकरण में निर्माण होकर प्रश्नगत आराजी के कृषि से अकृषि में परिवर्तित होने के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं इस अपील के स्तर पर जाहिर हुये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों का समुचित विवेचन कर एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विवेचनात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुन: प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत समझा जाता है ताकि पक्षकारान में नवीन विवाद उत्पन्न न होकर प्रकरण में पेचीदगीयां उत्पन्न नही हो। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29/12/2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रावधानों की अनुपालना कर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**लक्ष्मीनारायण बनाम धुणीलाल** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	